



राजस्थान सरकार

कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 8()/आकृ/जउप्र/सिंचाई पाईप पंजी0/20-21/5068 दिनांक 07/10/2020

पाईप लाईन निर्माताओं के पंजीकरण हेतु विज्ञप्ति

पूर्व की विज्ञप्ति क्रमांक एफ8()/आकृ/जउप्र/सिंचाई पाईप पंजी/2020-21/4504 दिनांक 02.09.2020 की निरन्तरता में बीआईएस मार्का सिंचाई पाईप लाईन निर्माताओं के पंजीकरण के लिये आवेदन प्राप्त करने की दिनांक 04.09.2020 को 31.10.2020 तक बढ़ाया जाता है। विस्तृत नियम एवं शर्तें विभागीय वेबसाईट www.agriculture.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

आयुक्त कृषि

राज0 सरकार, जयपुर

जल उपयोग प्रकोष्ठ, कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर, दूरभाष 0141-2227950, E-mail

jdagr.wuc.agri.rajasthan.gov.in

D:\New folder (2)\2020-21\Registration 2020-21\Reg-Pipe 2020-21 to 23-24\EOI 2020-21.docx